न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 1037 / 2021 निर्णय दिनांक :– 21.07.2022

उनवानी वादः–

भैरूलाल पुत्र हीरालाल जाति धाकड निवासी चांदली तहसील देवली जिला टोंक राज0

बनाम

1. रामकिशन पुत्र सूरजमल जाति धाकड निवासी चांदली तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. कालू पुत्र सूरजमल जाति धाकड निवासी चांदली तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. बदरी पुत्री सूरजमल पत्नी नारायण जाति धाकड निवासी भगवानपुरा (भासू) तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0
4. नोसी पुत्री सूरजमल पत्नी गोपाल जाति धाकड निवासी पिपोलिया पोस्ट हिंगोनिया तहसील सरवाड जिला अजमेर राज0
5. सायरी पुत्री सूरजमल पत्नी बरदा जाति धाकड निवासी पिपोलिया पोस्ट हिंगोनिया तहसील सरवाड जिला अजमेर राज0
6. लाली पुत्री सूरजमल पत्नी रघुनाथ जाति धाकड निवासी संग्रामपुरा पोस्ट निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. गटू पुत्री सूरजमल पत्नी रामदेव जाति धाकड निवासी केशवपुरा कॉलोनी पोस्ट लसाडिया तहसील केकडी जिला अजमेर राज0
8. बरजी पत्नी सूरजमल जाति धाकड निवासी चांदली तहसील देवली जिला टोंक राज0
9. तहसीलदार देवली / उपपंजीयक देवली
10. राजस्थान सरकार जरिए जिला कलेक्टर टोंक राज0
11. अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा देवली जरिए शाखा प्रबंधक

उपस्थिति :–
श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता प्रार्थी

श्री रामनिवास तुनगारिया
अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8
एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 9 व 11

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की नानी जमनी बेवा धूल्या जाति धाकड निवासी चांदली की खातेदारी की आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 101 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 224 रकबा 13 बीघा, खसरा

नम्बर 225 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 227 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 231 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 1276 रकबा 9 बिस्वा किता 6 कुल रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम चांदली तहसील देवली में स्थित थी जिसका इन्द्राज सम्वत् 2014 से सम्वत् 2029 के भू प्रबंध खतोनी में अंकित है। जमनी का देहान्त हो जाने के पश्चात् नामान्तकरण संख्या 272 मृतक जमनी का फोती का प्रार्थी की माता मोहनी पुत्री धूल्या के नाम भरा गया है जिसमें खसरा नम्बर 101, 227, 231 का ही उक्त नामान्तकरण भरा गया है जिनका रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा है। उक्त नामान्तकरण भरने के बाद जमाबंदी सम्वत् 2026 से 2029 व सम्वत् 2034 से 2037 में मोहनी देवी का नाम बतोर खातेदार अंकित कर दिया गया प्रार्थी की माता मोहनी मृतक जमनी व धूल्या की अकेली एक मात्र वारिस थी। सम्वत् 2014 से 2029 का जो सेटलमेन्ट हुआ उसमें प्रतिपक्षीगण 1 ता 8 के पिता व पति सूरजमल ने राजस्व अधिकारियो से साजिश रचकर प्रार्थी की नानी की खातेदारी के तीन खसरा नम्बर 225 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 224 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 1275 रकबा 9 बिस्वा को अपनी खातेदारी में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के लगवा लिया और जमाबंदी संख्या 2026 से 2029 में अपनी गुर्जर अंकित करवा ली उसके पश्चात जमाबंदी संख्या 2034 से 2037 में अपनी जाति धाकड अंकित करवा ली। हाल ही में देवली तहसील में सेटलमेन्ट हुआ है सेटलमेन्ट के दौरान साबिक खसरा नम्बर 101 के नए खसरा नम्बर 2785, साबिक खसरा नम्बर 231 के नए खसरा नम्बर 2826, साबिक खसरा नम्बर 227 के नए नम्बर 2834 बना दिए गए है तथा ग्राम चांदली में से उथरना ढाणी के राजस्व गांव बन जाने के कारण इनके नए नम्बर 5153 रकबा 1.19 है, खसरा नम्बर 2195 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 2204 रकबा 0.30 है0 किता 3 कुल रकबा 1.65 है0 बना दिए गए है और इनको प्रार्थी की खातेदारी में लगा दिया गया है जिनका लगभग 6 बीघा 12 बिस्वां के बराबर है प्रार्थी की नानी के खाते में 10 बीघा 1 बिस्वा जमीन थी जो हैक्टेयर में परिवर्तित करनले पर 2.51 है0 बनती है। प्रार्थी या प्रार्थी की माता मोहनी की खातेदारी में 0.86 है0 भूमि कम खातेदारों में लगाई है, प्रार्थी की माता का देहान्त हो गया है जिसकी विरासत का नामान्तकरण दिनांक 29.01.2007 को प्रार्थी के नाम खोल दिया गया है। साबिक खसरा नम्बर 225 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा के सेटमेन्ट के बाद नए खसरा नम्बर 2831 रकबा 1.92 है0 बना दिए है जिसके साबिक खसरा नम्बर 225 का रकबा भी शामिल कर दिया गया है जो लगभग 0.57 है0 होता है शेष रकबा अन्य खसरा नम्बर का मिलाया गया है। उथरना ढाणी के राजस्व गांव बन जाने के कारण उक्त खसरा के नए नम्बर 2200 बना दिए गए है इसी प्रकार साबिक खसरा नम्बर 1276 रकबा 9 बिस्वा सेटलमेन्ट के बाद नए खसरा नम्बर 1941 रकबा 0.22 है0 बना दिए गए है और उथरना ढाणी के राजस्व गांव बनने के बाद खसरा नम्बर 1280 बना दिए गए है। उक्त खसरा नम्बर में भी साबिक खसरा नम्बर 1276 रकबा 9 बिस्वा रकबा जो लगभग 0.11 है0 के बराबर होता है उक्त रकबे में शामिल कर दिया गया है तथा शेष रकबा अन्य साबिक खसरा नम्बर का मिला दिया गया है वर्तमान में हाल खसरा नम्बर 1280 रकबा 0.22 है0 खसरा नम्बर 2200 रकबा 1.92 है0 प्रतिपक्षी नम्बर 1 ता 8 की खातेदारी में लगा दिया गया है। सूरजमल पुत्र नारायण

जाति धाकड की मृत्यु के बाद उसकी फोती का नामान्तकरण संख्या 606 प्रतिपक्षी 1 से 8 के नाम खोल दिया गया है। साबिक खसरा नम्बर 1276 रकबा 9 बिस्वा व खसरा नम्बर 225 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा सेटलमेन्ट से पूर्व प्रार्थी की नानी के खातेदारी में थे उनके मरने के बाद उनकी खातदोरी की जमीन प्रार्थी की माता के नाम लगा दी थी लेकिन उपरोक्त दोनो नम्बरो प्रतिपक्षीगण नम्बर 1 ता 8 के पति व पिता ने राजस्व कर्मचारियों से साजिश रचकर स्वयं के नाम लगवा ली है जब कि उक्त दोनो साबिक खसरा नम्बर प्रार्थी की माता मोहनी की खातेदारी में लगना चाहिए था चूंकि अन्य तीन नम्बर प्रार्थी की माता की खातेदारी में लगवा दिए थे इस लिए हाल खसरा नम्बर 1280 में से 0.11 है0, खसरा नम्बर 2200 में से 0.57 है0 भूमि वाके ग्राम चांदली को प्रार्थी अपनी खातेदारी में लगवाने का अधिकारी है इस लिए प्रार्थी को उक्त दोनो खसरा नम्बरान का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादी नम्बर 11 के यहां भूमि रहन होने के कारण उसे फारमल पक्षकार बनाया गया है। विवादित आराजी खसरा नम्बर को सेटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से प्रतिपक्षी नम्बर 1 पिता व पति सूरजमल की खातेदारी में अंकित कर दिया गया था जिनका उनको कोई अधिकार प्राप्त नही था। आज भी उपरोक्त विवादित खसरा नम्बर जिनकी खातेदारी प्रार्थी चाह रहा है उसं पर प्रार्थी का ही कब्जा है और काश्त कर रहा है। उपरोक्त विवादित खसरा नम्बर 1280 व 2200 अवेध रूप से वर्तमान मे प्रतिपक्षी नम्बर 1 ता 8 की खातेदारी मे लगे हुए है और वह उक्त अवेध अंकन का फायदा उठाकर उपरोक्त दोनो खसरा नम्बर दोनो खसरा नम्बर को अन्य दीगर व्यक्ति, संस्थान को रहन, दान, बेचान करने पर आमादा है इस कारण प्रतिपक्षीगण नम्बर 1 ता 8 को जरिए अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह खसरा नम्बर 1280 रकबा 0.11 हे0, खसरा नम्बर 2200 रकबा 0.57 है0 की हद तक वाके ग्राम चांदली के खसरा नम्बर में प्रार्थी के कब्जे काश्त में मजाहमत नही करे तथा उपरोक्त रकबे की वर्णित हद तक उक्त भूमि अन्य किसी व्यक्ति या संस्था को स्वयं, जरिए ऐजेन्ट नोकर चाकर के रहन, दान, बेचान आदि नही करे तथा प्रतिपक्षी नम्बर 9 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई ।

प्रतिवादीगण संख्या 9 तथा 11 वाबजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 की ओर से श्री रामनिवास तुनगारिया अधिवक्ता ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः—प्रार्थना पत्र के चरण नं. 1 में वाद पत्र पेश करना स्वीकार है। शेष इबारत गलत होने से स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 2 व 3 स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 4 जिस प्रकार से अंकित है गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र के चरण नं. 5 से 9 गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र में चाही गई प्रार्थना गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थी निषेधाज्ञा की आड में खातेदार को अपनी ही खातेदारी भूममि पर पाबन्द करवाने का अधिकारी नहीं है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। खारिज किये जाने योग्य है। आराजी ख. नं. 1280 रकबा 0.

22 है0, ख. नं. 2200 रकबा 1.92 है0 वाके ग्राम चान्दली तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है जो अप्रार्थी नं. 1 ता 8 की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि है। उक्तभूमि अप्रार्थी नं. 1 ता 8 से पूर्व इनके पिता/पति सूरजमल धाकड़ की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि रही है। उक्त भूमि सेटलमेंन्ट से पूर्व भी अप्रार्थी नं. 1 ता 8 के पिता/पति सूरजमल की खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी और आज भी उक्त भूमि पर मौके पर अप्रार्थी नं. 1 ता 8 ही काबिज होकर काश्त कर रहे है। उक्त भूमि से प्रार्थी का कोई लेना देना एवं सम्बन्ध नहीं है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है, खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि कुल किता 6 कुल रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा प्रार्थी की नानी जमनी देवी के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। जमनी देवी की मृत्यु के बाद प्रार्थी की माता मोहिनी देवी के नाम केवल केवल 3 नम्बर का ही म्यूटेशन खोला गया। शेष तीन नम्बर सूरजमल जाति गुर्जर के नाम सम्वत 2026–29 की जमाबन्दी में दर्ज कर दिया और 2034–37 की जमाबन्दी में सूरजमल की जाति धाकड़ कर दी गई। जबकि प्रार्थीया ने किसी भी प्रकार का ना तो सेल डीड किया और न ही गिफ्ट डीड किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि 2009–10 की जमाबन्दी में इनके नाम यह आराजी नहीं है। सेटलमेंन्ट से पूर्व भी अप्रार्थीगण के पिता के नाम ही थी और अब अप्रार्थीगण के नाम है। प्रार्थीगण ने किसी प्रकार का साक्ष्य पेश नहीं किया है। प्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार है जिनको बिलावजह, बिना साक्ष्य पाबन्द करना उचित नहीं है। प्रार्थी का अप्रार्थीगण की आराजी भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी नें रिब्टल में कथन किया कि पहले जमनी देवी के नाम 6 खसरा नम्बर थे और नामान्तकरण खोलते समय 3 ही आये, 3 ही क्यों आये, इस बाबत अधिवक्ता अप्रार्थी ने कोई जवाब पेश नहीं किया है। 3 नम्बर गलती से अप्रार्थीगण के पिता की खातेदारी में लग गये। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज भू–प्रबन्ध जमाबन्दी सम्वत 2014–29 में जमनी बेवा धूल्या कोम धाकड़ के नाम खसरा नम्बर 101 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 224 रकबा 13 बीघा, खसरा नम्बर 225 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 227 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 231 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 1276 रकबा 9 बिस्वा किता 6 कुल रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा दर्ज रिकॉर्ड है। नामान्तकरण पंजिका ग्राम चांदली में जमनी की मृत्यु के बाद मोहनी पुत्री धूला के नाम नामान्तकरण खोला गया जिसमें 3 किता 6 बीघा व 14

बिस्वा का अंकन है। जिसके बाद जमाबंदी सम्वत् 2026 से 2029 व सम्वत् 2034 से 2037 में मोहनी देवी का नाम बतोर खातेदार् ख. नं. 101, 227, 231 का अंकन है। जमाबन्दी सम्वत 2026–29 में साबिक ख. नं. 225, 224, 1276 का अंकन सुरजमल गुर्जर के नाम अंकन है। जमाबन्दी सम्वत 2034–37 में साबिक ख. नं. 225, 224, 1276 का अंकन सुरजमल पुत्र नारायण कोम धाकड़ का अंकन है। मिलान क्षैत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग के अनुसार साबिक ख. नं. 1276 रकबा 9 बिस्वा व 1277 रकबा 9 बिस्वा को मिलाकर ख. नं.1941 रकबा 0.22 है0 बनाये गये है। इसी प्रकार भू–प्रबन्ध के साबिक ख. नं. 225, 238, 237 से मिलकर ख. नं. 2831 बनाये गये है। ग्राम चांदली से नया गांव उथरणा बनने से ख. नं. 1941 से नये हाल ख. नं. 1280 व 2831 से हाल ख. नं. 2200 बनाये गये है। जमाबन्दी सम्वत 2054–57 में ख. नं. 1941 व 2831 सूरजमल पुत्र नारान धाकड़ के नाम दर्ज रिकॉर्ड था व जमाबन्दी सम्वत 2058–61, 2062–65 व 2066–69 में ख. नं. 1941 से बना हाल ख. नं. 1280 व 2831 से बना हाल ख. नं. ख. नं. 2200 सूरजमल पुत्र नारान व बाद में इसके वारिसान प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रतिवादीगण द्वारा पेश दस्तावेज खसरा गिरदावरी मौजा सम्वत 2009–10 सन्1952 में ख. नं. 224 गै. मु. रास्ता, 225 नहरी दोयम व 227 मालदोयम व ख. नं. 1276 लिका जाव दर्ज है। अन्य दस्तावेजो में वादी द्वारा पेश दस्तावेज ही प्रतिवादीगण ने पेश किये है। प्रार्थी नं ख. नं.1280 रकबा 0.11 है0 व ख. नं. 2200 रकबा 0.57 है0 की हद तक में प्रतिवादीगण को पाबन्द करने हेतु न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया है। वर्तमान दस्तावेज के अनुसार ख. नं. 1280 व ख. नं. 2200 प्रतिवादीगण की खातेदारी में पिछले 15 वर्ष से भी अधिक समय से दर्ज रिकॉर्ड हैं। वर्तमान में प्रतिवादीगण उक्त खसरा नम्बरो के खातेदार होने के कारण प्रतिवादीगण को पाबन्द करना उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त विवादित खसरा नम्बरो का निर्णय नियमित वाद में साक्ष्य व प्रलेखिय साक्ष्यो के माध्यम से हो सकेगा। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जाता है। पत्रावली बाद पूर्ति वाद के साथ हमफिता हो।

10.12.25

उपखण्ड अधिकारी
देवली